32

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

[दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन : समस्याएँ और समाधान]

बत्तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ आषाढ़, 1943 (शक)

बत्तीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

[दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन : समस्याएँ और समाधान]

3 अगस्त, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।
3 अगस्त, 2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ आषाढ़, 1943 (शक)

<u>विषय सूची</u>

पृष्ठ

□□□□□ □□ □□□□□□.....

□□□□□□□□□□.....

भाग-एक

क. प्रस्तावना

ख. संहिता के चार स्तंभ

(i) दिवाला पेशेवर
(ii) सूचना उपयोगिताएं
(iii) न्यायनिर्णयन प्राधिकरण
(iv) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

ग. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी)

घ. निगरानी तंत्र – दिवाला विधि समिति (आईएलसी)

ङ आईबीसी संहिता में संशोधन

च. सीमा पार दिवाला

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

अनुबंध

समिति की 25 अगस्त, 2020, 12 जनवरी, 2021, 28 जनवरी, 2021 12 फरवरी, 2021, 7 जुलाई, 2021 और 29 जुलाई, 2021 को हुई बैठकों का कार्यवाही सारांश।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री बालासुरी वल्लभनेनी
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
8. श्रीमती सुनीता दुग्गल
9. श्री गौरव गोगोई
10. श्री सुधीर गुप्ता
11. रिक्त
12. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
13. श्री पिनाकी मिश्रा
14. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
15. प्रो. सौगत राय
16. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
17. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
20. श्री राजेश वर्मा
21. श्री गिरिधारी यादव

राज्य सभा

22. रिक्त
23. श्री ए. नवनीतकृष्णन
24. श्री प्रफुल्ल पटेल
25. डॉ. अमर पटनायक
26. श्री महेश पोद्दार
27. श्री सी. एम. रमेश
28. श्री बिकास रंजन
29. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

1.	श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री मेलोडी वुंगथियानसियम	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन – समस्याएं और समाधान' प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. 25 अगस्त, 2020 को हुई बैठक में समिति ने भारतीय बैंक एसोसिएशन, एजेडबी एंड पार्टनरस, एलएंडएल पार्टनर्स, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, आईबीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। 28 जनवरी, 2021 को समिति ने आईसीआईसीआई, सीओएसआईए, एफआईएसएमई के प्रतिनिधियों, एक स्वतंत्र साक्षी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई), वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय), आरबीआई और सिडबी के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

3. 12 फरवरी, 2021 को समिति ने सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लि., कासिया, स्वतंत्र साक्षियों के विचार सुने और इंडियन ओरवरसीज बैंक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। 7 जुलाई, 2021 को समिति ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. 29 जुलाई, 2021 को हुई बैठक में समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया और इसे अंतिम रूप देने तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

5. समिति कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय), आईबीबीआई, आरबीआई, सिडबी, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं कोटक महिन्द्रा बैंक के अधिकारियों और एजेडबी एंड पार्टनर्स, एलएंडएल पार्टनर्स, कोसिआ, फिजमी, सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रा. लि., कासिया के प्रतिनिधियों तथा स्वतंत्र साक्षियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और आवश्यक सामग्री तथा सूचना प्रदान करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया जो विषय की जाँच के संबंध में आवश्यक थी।

6. संदर्भ की सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2021
07 श्रावण, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति।

भाग-एक

क. प्रस्तावना

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधिनियमन से पूर्व दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए विधिक कार्य व्यवस्था विखण्डित और गैर-कारगर थी। आर्थिक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने मौजूदा ऋण पुनर्गठन प्रणाली की पूरी जांच करना अनिवार्य बना दिया। व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल टाउन्स इन्सॉल्वेंसी एक्ट, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 का उपयोग बहुत ही कम किया गया था, जबकि कॉरपोरेट्स के मामलों में, बैंकों और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993, के कारण ऋण की वसूली, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन, वसूली के मामले में बहुत प्रभावी नहीं रहा है, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 अत्यधिक देरी और परिणामी मूल्य क्षरण के साथ फंस गया था।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता के साथ प्रभावी रूप से निपटने, और देश में ऋण बाजारों के विकास हेतु, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और निवेशों को सरल और कारगर बनाने के लिए इज़ ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक नये विधान की जरूरत महसूस की गई। कारपोरेट और वैयक्तिक फर्मों से संबंधित दिवाला और शोधन अक्षमता के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक सुधारों की बाबत सुझाव देने संबंधी अधिदेश के साथ दिवाला विधि सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 को 28 मई, 2016 को लागू किया गया ताकि सरकारी ऋणों की अदायगी और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना के साथ-साथ प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन लाने के, कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्यों का इष्टतमकरण करने, उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के हितों को संरक्षित करने के प्रयोजनार्थ उन्हें पुनःसंगठित करने और दिवाला समाधान को प्रशस्त करने संबंधी कानूनों को समेकित और संशोधित किया जा सके।

3. आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, इस व्यवस्था की अनूठी विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार करता है:

(i) सभी प्रकार के दिवालियेपन और शोधन अक्षमता के सभी पहलुओं से निपटने वाली एक व्यापक व्यवस्था।

(ii) दिवाला और शोधन अक्षमता की कार्यवाही के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलुओं से अलग करना और अधिकार प्राप्त हितधारकों और अधिनिर्णय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के भीतर मामलों का शीघ्रता से निर्णय लेना।

(iii) दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए भुगतान में चूक के लिएअधिक उद्देश्यपूर्ण निवल मूल्य के क्षरण से दूर जाना।

(iv) 'कब्जेदार - देनदार' व्यवस्था से हटकर 'लेनदार-इन-कंट्रोल' व्यवस्था में जाना जहां लेनदार दिवालिया पेशेवरों की सहायता से मामलों का फैसला करते हैं।

(v) एक लेनदार द्वारा ऋण की वसूली के बजाय दिवालियेपन का समाधान करने के लिए सामूहिक तंत्र प्रदान करना।

(vi) समयबद्ध तरीके से दिवाला समाधान प्राप्त करना और हितधारकों को समय पर लेनदेन पूरा करने के लिए सशक्त बनाना।

4. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने एक लिखित उत्तर मे बताया कि यह संहिता दो तरीके से असफलता के भार को कम करती है। प्रथम, दिवाला कार्यवाहियों के अर्थों में चूक के अपरिहार्य परिणाम से व्यवसाय को असफलता को रोकने के लिए कठिन प्रयास हेतु ऋणी पर व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। द्वितीय यह किसी प्रक्रिया को गति निर्धारित करके असफलता को कम करता है जो विफल होते हुए व्यवसाय का पुनर्वास करती है, जो व्यवहार्य है। यदि, तथापि, पुनर्वास संभव नहीं है, यह संहिता कम-से-कम लागत और व्यवधानों के साथ इसकी बंदी को सरल और कारगार बनाती है। गैर-व्यवहार्य फर्मों की बंदी को अनुमति देते हुए, जब कभी अपेक्षित हो, यह संहिता उद्यमी को असानी से व्यवसाय में प्रवेश और उससे बाहर निकलने, असफलता से अडिग (व्यवसायगत कारणों से उचित असफलता) में समर्थ बनाती है संहिता इस प्रकार असफलता के अवसरों को कम करके, जहां संभव हो व्यवसाय को असफलता से बचाकर, और जहां पुनर्वास संभव न हो वहां व्यवसायों से संसाधन जारी करके व्यवसाय की असफलताओं का हल निकालती है और इस प्रकार उद्यमिता को बढ़ावा देती है।

ख. संहिता के चार स्तंभ

5. संहिता के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में चार स्तंभ होते हैं, अर्थात् दिवाला पेशेवर और दिवाला पेशेवर एजेंसियां, सूचना उपयोगिताएं, अधिनिर्णय प्राधिकारी (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और ऋण वसूली प्राधिकरण), और दिवाला पेशेवर एजेंसियों, दिवाला पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं पर नियामक निरीक्षण करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

1. **दिवाला पेशेवर (आईपी) अथवा समाधान पेशेवर (आरपी)**

6. यह संहिता दिवाला समाधान प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए विनियमित पेशेवरों के एक वर्ग, दिवाला पेशेवरों (आईपी) के लिए प्रावधान करती है। पंजीकरण से पहले एक आईपी को दिवाला पेशेवर एजेंसी के साथ नामांकन के लिए अपने आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है और एक पेशेवर सदस्य के रूप में उनके नामांकन के पश्चात् एक दिवाला पेशेवर एजेंसी से, जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक हो, एक पूर्व-पंजीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। । आईपी को सुदृढ़ करने के लिए, आईबीबीआई नियामक के रूप में कार्यशालाएं, आईपी कॉन्क्लेव, गोलमेज आदि आयोजित करता है।

(क) दिवाला पेशेवरों (आईपी) का विनियमन

7. दिवाला पेशेवर एजेंसियों को दिवाला पेशेवरों को विनियमित करने के लिए अभिहित किया गया है। आईपीए के कार्यों के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एक लिखित नोट में निम्नानुसार बताया :

> "संहिता आईपीए को अग्रणी नियामकों के रूप में परिकल्पित करती है। आईपीए तीन प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते हैं, अर्थात् अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक। अर्ध-विधायी कार्य उप-नियमों के माध्यम से मानकों और आचार संहिता को निर्धारित करते हैं, जो सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं। कार्यकारी कार्यों में नियमित आधार पर पेशेवर सदस्यों की निगरानी, निरीक्षण और जांच, पीड़ित पक्षों की शिकायतों को दूर करना, उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी एकत्र करना आदि शामिल हैं, जिसका व्यापक उद्देश्य आईपी द्वारा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार और दुराचार को रोकना है। अर्ध-न्यायिक कार्यों में सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों से निपटना और उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना शामिल है।
>
> एक आईपीए मोटे-तौर पर दो तरह के हितों के लिए कार्य करता है। एक सार्वजनिक हित है, जैसा कि संहिता की धारा 200 में वर्णित है, जिसमें देनदारों, लेनदारों, अन्य हितधारकों, बाजार और समाज के हित शामिल हैं। एक आईपीए निजी हितों का भी अनुसरण करता है, जैसा कि धारा 204 में वर्णित है, जिसमें व्यवसाय, पेशेवर सदस्यों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के हित शामिल हैं। विनियमों के साथ पठित संहिता सार्वजनिक हितों और निजी हितों को संतुलित करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट करती है। संहिता की धारा 203 आईपीए की व्यवस्था पर जोर देती है। शासकीय बोर्ड में आईपी की सीमित उपस्थिति है जिसमें 50% स्वतंत्र निदेशक हैं। कोई भी व्यक्ति आईपीए में इक्विटी शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं रख सकता है, अपवाद केवल कुछ विशेष

श्रेणी के संस्थानों जैसे स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग कंपनी या केंद्र और राज्य सरकारों और एक वैधानिक नियामक को प्रदान किया जाता है। संहिता में यह भी प्रावधान है कि यदि बोर्ड की अनुशासन समिति संतुष्ट है कि पर्याप्त कारण मौजूद है, तो वह आईपीए के पंजीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है। केवल एक गैर-लाभकारी कंपनी को आईपीए के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। जबकि आईपीए के नियामक और प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों के बीच हितों के टकराव की संभावना है, मौजूदा नियंत्रण और संतुलन को इस पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त माना जाता है।"

(ख) दिवाला पेशेवरों की योग्यता

8. विशाल और जटिल मामलों को संभालने में आईपी की योग्यता के मुद्दे पर, अध्यक्ष, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:

"आईबीबीआई की भूमिका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की भूमिका के बराबर है। एक दूसरी परत है जिसे दिवाला पेशेवर एजेंसी कहा जाता है। दिवाला पेशेवर दिवाला पेशेवर एजेंसी के पेशेवर सदस्य होते हैं। इसके बाद, वे हैं आईबीबीआई के साथ पंजीकृत होते है। एक आईपी बनने के लिए, उन्हें पेशेवर रूप से योग्य होना चाहिए। वे आम तौर पर सीए, सीएस या अधिवक्ता जैसे पेशेवर होते हैं। प्रबंधकीय रूप से अनुभवी लोगों के आने की भी गुंजाइश है। लेकिन मोटे तौर पर, 3,500 दिवाला पेशेवरों में से 3,000 से अधिक 10 साल के अनुभव के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव और अधिवक्ता जैसे पेशेवर होते हैं। वे आईबीबीआई द्वारा आयोजित एक परीक्षा देते हैं। एक पूर्व-पंजीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम है। एक अनिवार्य सतत व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम भी है। आईबीबीआई बड़ी संख्या में बुनियादी कार्यशालाओं और उन्नत कार्यशालाओं का आयोजन करता है। आईबीबीआई और आईपीए दोनों एक साथ, शायद एक वर्ष में लगभग 150 से 200 कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि नया काम हो रहा है और नया ज्ञान आ रहा है। हम कई प्रकाशन निकालते हैं, जिनमें जर्नल, विशेष रूप से केस स्टडी और सर्वोत्तम प्रक्रिया शामिल हैं।"

9. क्षमता निर्माण और आईपी के कार्यकरण के मुद्दे पर, अध्यक्ष, आईबीबीआई ने आगे बताया कि:

"हम बड़ी संख्या में निरीक्षण करते हैं। शायद, 150 निरीक्षण किए गए हैं। 100 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और हम विभिन्न प्रकार के दंड लगाते हैं। 5-6 पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। हम कई बार निलंबन करते हैं और मौद्रिक दंड भी लगाते हैं । विभिन्न सलाह दी जाती

है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक नया पेशा है। इसमें समय लगेगा ... कुछ मामलों में आचरण के मुद्दे हैं लेकिन हमारे पास चीजों को संसाधित करने की एक समयरेखा है। कारण बताओ नोटिस के मामले में छह माह के भीतर इसका निपटान किया जाना होता है। निरीक्षण समय पर पूरा करना होता है और विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।"

10. दिवाला पेशेवरों के विरुद्ध 31.05.2021 तक प्रवर्तन कार्रवाई का ब्योरा निम्नानुसार है:

गतिविधि	आईपीए	आईबीबीआई
संचालित निरीक्षण	64	139
कारण बताओ नोटिस जारी	66	80
कारण बताओ नोटिस का निपटारा किया गया	54	67
अनुशासनात्मक कार्रवाइयां		
रद्दीकरण / निलंबन / डिबारमेंट	5	20
मौद्रिक दंड	19	12
अन्य	32	35
कुल	**56**	**67**

2. सूचना उपयोगिताएँ

11. यह संहिता, सूचना उपयोगिताओं से संबंधित है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में उधारदाताओं और उधार देने की शर्तों के बारे में तथ्यों को संग्रहीत करेगा और 'चूककर्ता का पता लगाने के लिए अधिनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाएगा। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल)संहिता के तहत आईबीबीआई द्वारा पंजीकृत एकमात्र सूचना उपयोगिता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान 31 मई 2021 को एनईएसएल से निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

लेनदारों की संख्या	1350
देनदारों की संख्या	93.02 लाख
ऋण रिकॉर्ड की संख्या	1.54 करोड़
अंतर्निहित ऋण की राशि	136 लाख करोड़
जारी किए गए डिफ़ॉल्ट प्रमाणपत्रों की संख्या	41094

3. न्यायनिर्णयन प्राधिकरण

12. संहिता में दो अधिनिर्णय प्राधिकारियों का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) जो अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग, कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी

(एलएलपी) से जुड़े मामलों को देखता है और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) जो दिवाला मामलों पर व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों से जुड़े मामलों को देखता है। वर्तमान में एनसीएलटी की (प्रधान पीठ सहित) 16 पीठ कार्यरत हैं ।

(ए) एनसीएलटी का कार्यनिष्पादन

13. साक्ष्य के दौरान मंत्रालय ने एनसीएलटी के कार्यनिष्पादन के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

श्रेणी	विचार किए गए कुल मामले	निपटाए गए कुल मामले	कुल लंबित मामले
आईबीसी	**32,547**	**19,377**	**13,170**
विलय और अधिग्रहण	12,490	11,318	1,172
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अन्य मामले	31,814	25,193	6,621
कुल	**76,851**	**55,888**	**20,963**

14. एनसीएलटी के पास लंबित मामलों में शामिल राशि के संबंध में, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 12 जनवरी, 2021 को साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> "इसमें शामिल राशि 9,20,000 करोड़ रुपये है। धारा 7 के अंतर्गत कारण दिया गया है, जो कि वित्तीय लेनदार है,वे 4,365 मामले हैं। इसका अर्थ है कि यह 6,77,000 करोड़ रुपये है। वित्तीय लेनदारों ने उस प्रक्रिया को ट्रिगर किया है। धारा 9 जो ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा ट्रिगर है वह 8,331 मामले हैं। यह केवल 78,000 करोड़ रुपये है, 6,77,000 रुपये की तुलना में 4,365 मामलों हैं। यहां, संख्या लगभग दोगुनी है। लेकिन दावा उस राशि का केवल 10 या 15 प्रतिशत है। धारा 10 , जो स्वयं कॉर्पोरेट देनदार है, यह 52,000 करोड़ रुपये की दावा राशि के साथ 266 मामले हैं। यह एक है जो 253 है जिसमें 1,11,000 करोड़ रुपये की दावा राशि है।"

15. 31 मई, 2021 को आईबीसी के अंतर्गत एनसीएलटी में आयु-वार लंबित मामले निम्नानुसार हैं:

□□□□□□ □□ □□□□□	**0-90 □□□**	**91-120 □□□**	**121-180 □□□**	**180+ □□□**	□□□
□□□□ 7	155	147	306	2,177	**2,785**
□□□□ 9	279	401	1091	4,202	**5,973**
□□□□ 10	85	17	51	455	**608**
□□□□	111	60	121	193	**485**
□□□	**630**	**625**	**1,569**	**7,027**	**9,851**
□□□□□□□	6.39%	6.34%	15.92%	71.33%	

16. एनसीएलटी में पीठ की संख्या और मामलों के बैकलॉग के संबंध में, सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान बताया:

> "एनसीएलटी के बैकलॉग और पीठ की संख्या के संबंध में, हमारे पास कुल 63 के मुकाबले अध्यक्ष सहित 34 सदस्यों की रिक्तियां हैं। 76,000 मामलों में से, 56,000 मामलों का निपटारा किया गया है। अभी लगभग 20,000 मामले हैं और 13,000 मामले आईबीसी से संबंधित हैं। इसी तरह, एनसीएलएटी में, स्वीकृत पीठ की संख्या के खिलाफ, हमारे पास चेयरपर्सन और केवल दो सदस्यों की रिक्ति है। मई और जून में बहुत लोग सेवानिवृत हुए। रिक्ति 50 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन रिक्तियों को भरने के लिये सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं ।"

बी) एनसीएलएटी का कार्यनिष्पादन

17. एनसीएलएटी में एक अध्यक्ष और 11 सदस्यों की स्वीकृत संख्या के साथ 2 पीठ हैं। वर्तमान में अध्यक्ष और दो सदस्यों का पद रिक्त है। एनसीएलएटी द्वारा 01.06.2016 से 31.05.2021 तक निपटाए गए कुल मामले निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	विचार किए गए कुल मामले	निपटाए गए कुल मामले	कुल लंबित मामले
□□□□□□	**4283**	**3283**	**1000**
□□□□□ □□□□□□□	1577	1229	348
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□	338	80	258
□□□□□□□□ □□□□□□□	7	2	5
□□□	**6205**	**4594**	**1611**

4. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

18. संहिता, एक विनियामक यानी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के गठन का प्रावधान करती है, जिसे **01**अक्तूबर, 2016 को स्थापित किया गया था। यह सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ लेनदेन को भी नियंत्रित करती है। यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं पर नियामक निरीक्षण करता है। यह लेन-देन को नियंत्रित करने के लिए नियमों को निर्धारित करता है, अर्थात्, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला, और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता संहिता के तहत और उसके तहत बनाए गए संहिता, नियमों और विनियमों को लागू करता है। बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, अर्थात् एक अध्यक्ष, केंद्र सरकार के अधिकारियों से तीन सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नामित एक सदस्य और केंद्र सरकार

द्वारा नामित पांच अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

19. बोर्ड के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

(क) दिवाला पेशेवर एजेंसियों (आईपीए), दिवाला पेशेवरों (आईपी) और सूचना उपयोगिताओं (आईयू) को पंजीकृत करना और ऐसे पंजीकरणों को नवीनीकृत, वापस लेना, निलंबित या रद्द करना;

(ख) कार्यनिष्पादन की निगरानी और आईपीए, आईपी और आईयू पर निरीक्षण और जांच करना और संहिता और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक आदेश पारित करना;

(ग) ऐसी जानकारी, डेटा, शोध अध्ययन और अन्य जानकारी प्रकाशित करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(घ) दिवाला और शोधन अक्षमता मामलों से संबंधित रिकॉर्ड एकत्र करना और उनका रखरखाव करना और ऐसे मामलों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;

(ङ) ऐसी समितियों का गठन करना जिनकी आवश्यकता हो, विशेष रूप से धारा 197 में निर्धारित समितियों सहित;

(च) वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के अन्य सार्वभौमिक रूप से सुलभ भंडारों को बनाए रखना, जो आवश्यक हो सकते हैं ;

(छ) कारपोरेट देनदार की आस्तियों के समयबद्ध निपटान के लिए तंत्र सहित इस संहिता के तहत अपेक्षित दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों पर विनियम और दिशानिर्देश बनाना।

ग. कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी)

20. जहां कोई कॉर्पोरेट देनदार चूक करता है, एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार स्वयं अधिनिर्णय प्राधिकरण को एक आवेदन करके कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अधिनिर्णय प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करता है। समाधान प्रक्रिया आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू होती है और अधिनिर्णय प्राधिकरण आवेदन के स्वीकार या अस्वीकार होने के सात दिनों के भीतर वित्तीय लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार को सूचित करता है। एक वित्तीय लेनदार को चूक का रिकॉर्ड जमा करने की आवश्यकता होती है जबकि एक परिचालन लेनदार को पहले अपने अवैतनिक ऋण की मांग करने की आवश्यकता होती है।

चल रहे विवाद के आधार पर, कॉर्पोरेट देनदार दावे का बचाव करने के लिएअपनी बात रख सकता है। जब एक कॉर्पोरेट देनदार को सीआईआरपी में भर्ती किया जाता है, तो यह निदेशक मंडल को निलंबित कर देता है। साथ ही, प्रबंधन को एक स्वतंत्र 'अंतरिम समाधान पेशेवर' के तहत रखा जाता है। अंतरिम समाधान पेशेवर लेनदारों द्वारा प्रस्तुत सभी दावों को प्राप्त करेगा और उनका मिलान करेगा और लेनदारों की एक समिति (सीओसी) का गठन करेगा। लेनदारों की समिति संकल्प करती है कि अंतरिम समाधान पेशेवर को समाधान पेशेवर के रूप में जारी रखा जाए या अंतरिम समाधान पेशेवर को किसी अन्य समाधान पेशेवर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल, कम से कम **66%** मतों के द्वारा अधिनिर्णय प्राधिकरण को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्रस्तुत करता है। यदि अधिनिर्णय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि समाधान योजना संहिता की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो वह उस समाधान योजना को आदेश द्वारा अनुमोदित करेगा जो कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटरों और अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी है। संहिता की धारा **12** में प्रावधान है कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आवेदन के प्रवेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। एनसीएलटी इस अवधि को और **90** दिनों के लिए बढ़ा सकता है। इसके अलावा, संहिता के उद्देश्य पर फिर से जोर देने के लिए, आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, **2019** के माध्यम से **16** अगस्त **2019** से प्रभावी कानूनी कार्यवाही में लगने वाले समय सहित समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए **330** दिनों की एक बाहरी समय-सीमा प्रदान की गई है।

□□□□□ □□□□: □□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ (190 □□□□□ □□□ □□)

□□□□□	**2017 (□□□□)**	**2020**	
		□□□□	□□□□
□□□□ (□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□)	136	52	02
□□□□□ □□	26.0%	71.6%	81%
□□□□ □□□ □□□	4.3 □□□□	1.6 □□□□	1 □□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□	151	136	55
□□□□□□□ □□□□	155	63	06
□□ □□□□□□□ □□□□	62	25	04

21. संहिता के उद्देश्यों मे से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दिवाला प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत में दिवाला कानून को एकीकृत कर एक जगह लाना है। 2017 में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में दिवाला समाधान में औसतन 4.3 वर्ष लगे, जो यूनाइटेड किंगडम मे (1 वर्ष), अमेरिका मे (1.5 वर्ष) और दक्षिण अफ्रीका (2 वर्ष) की तुलना में बहुत अधिक था। विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स,

2015 में विभिन्न आंकड़ों के आधार पर भारत को 190 देशों में से 135वें स्थान पर रखा गया है। अब विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया है।

22. मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान 31 मई, 2021 को आईबीसी संहिता के अंतर्गत परिणामों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

□□□□□	□□□□□□□□□□ □□ □□.	□□□□ (□□□□ □□□□)	
□□□□□□ □□ □□□□□	32,547	-	
□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□	13,170	-	
		□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□	17,631	-	5,45,483
□□□□□□□□□ □□□□ □□□	4,487	-	-
□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□	1,085	-	-
□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□□	365	1,13,012	2,11,635
□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□□	1,318	49,783	NA
□□ □□□ □□□□□□□□□□□	1,719	-	-

23. समाधान प्रक्रिया के साथ कम वसूली दर जिसमे 90-95% के अधिक हैयर कट के बारे में पूछे जाने पर , सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया कि:

> "शुरुआत में, जब कंपनियां आईबीसी में आईं, तो बचाई गई कंपनियों में से 33 प्रतिशत निष्क्रिय थीं। उनके पास वस्तुतः कुछ भी नहीं था, और जिन कंपनियों का वास्तव में परिसमापन हुआ था, उनमें से 73 प्रतिशत कंपनियां निष्क्रिय थीं। यह भी निर्भर करता है कि कोई कंपनी आईबीसी में किस स्तर पर आती है। यदि यह एक ऐसे चरण में है जहां इसे पुनर्जीवित और बहाल किया जा सकता है और यदि इसका समाधान किया जाता है तो परिणाम हमेशा बेहतर होंगे। हम पिछले मामलों को दिखा सकते हैं जहां यह एक उचित चरण मे आया और यहां तक कि वसूली भी, हालांकि आकस्मिक, काफी अच्छी रही है।ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वसूली 80-90 प्रतिशत तक भी हुई है।
>
> फिर भी, समाधान मूल्य परिसमापन मूल्य का लगभग 188 प्रतिशत है। तो, क्या विकल्प उपलब्ध है? यदि कंपनियां समाधान के लिए आती हैं और विकल्प यह है कि यदि वे परिसमापन के लिए जाती हैं, तो उन्हें अभी जो मिल रहा है, उससे बहुत कम मिलेगा। आईबीसी को बाल कटवाने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन पूरी समझदारी लेनदारों की समिति के पास है। संपूर्ण समाधान

स्कीम को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसे एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यदि लेनदारों की समिति, अपने विवेक में, 90 प्रतिशत हैयर कट या 95 प्रतिशत हैयर कट के लिए सहमत नहीं होती है, तो स्कीम एनसीएलटी के पास नहीं जाएगी। यदि यह एनसीएलटी के पास नहीं जाता है, तो यह स्वीकृति नहीं देगा और फिर स्पष्ट रूप से कंपनी को परिसमापन या वसूली के अन्य वैकल्पिक तरीकों के लिए जाना होगा जो वित्तीय लेनदारों के पास उपलब्ध हो ।

हमने एक ढांचा प्रदान किया है, और यह मुख्य रूप से लेनदारों की समिति के लिए है जिनकी इस पूरी प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका है। लेनदारों की समिति के लिए आचार संहिता; लेनदारों की समिति की क्षमता निर्माण; लेनदारों की समिति के लिए निर्णय लेने की गुणवत्ता; और उनकी व्यावसायिकता पर हमें काम करना होगा। इसलिए हम बैंक एसोसिएशन के साथ भी काम कर रहे हैं।"

घ. निगरानी तंत्र - दिवाला विधि समिति (आईएलसी)

24. मंत्रालय ने इस संहिता के कार्यान्वयन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार से सिफारिश करने के निमित्त एमसीए के सचिव की अध्यक्षता में अपने 16 नवंबर, 2017 के आदेश (6 मार्च, 2019 के आदेश के द्वारा स्थायी समिति के रूप में पुनः गठित) दिवाला विधि समिति (आईएलसी) के जरिए इस संहिता के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उनका अनुवीक्षण करने के लिए एक नियमित कार्यतंत्र उपलब्ध कराया है। इस समिति में विभिन्न संस्थानों, औद्योगिक प्रकोष्ठों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा सदस्यों के रूप में शामिल होने के फलस्वरूप समिति को लाभ पहुंचा है।

25. अब तक, समिति ने निम्नानुसार ब्यौरों सहित तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं:–

(i) मार्च, 2018 में प्रस्तुत पहली रिपोर्ट–समिति ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण समझा की इस संबंध में नए कानून को बनाए जाने से संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। समिति के विचार में महत्वपूर्ण चुनौति यह सुनिश्चित करना है कि इस कानून को सही मायनों में कार्यान्वित किया जाए। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए और इस संहिता के तहत विभिन्न हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ समिति ने एमएसएमई को कतिपय छूट देने, वित्तीय देनदारों के रूप में गृह क्रेताओं की स्थिति स्पष्ट करने, कारपोरेट देनदारों की शास्तियों के सापेक्ष उनके प्रतिभूतिकर्ताओं की बाबत स्पष्ट दृष्टिकोण, समाधान योजना आदि के अनुमोदनार्थ एवं इस

अवधि के दौरान लिए गए विभिन्न निर्णयों के संबंध में देनदारों की समिति द्वारा मतदान में कमी आदि की बाबत सिफारिशें की हैं।

(ii) अक्तूबर 2018 ,में प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट–समिति ने इस संहिता के तहत कारपोरेट देनदारों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी और व्यापक दिवाला कार्यतंत्र उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ भारतीय संदर्भ में सीमापार दिवाला की बाबत यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल विधि को अंगीकार करने की सिफारिश की है।

(iii) फरवरी, 2020 में प्रस्तुत तीसरी रिपोर्ट–सारगर्भित दिवाला समाधान प्रक्रिया विकसित करने संबंधी आवश्यकता पर विचार करने और संहिता को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप अर्जित अनुभव पर आधारित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया और समापन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निमित्त समिति ने इस संहिता की धारा-4 के तहत संबंधित सीमा को बढ़ाने, देनदारों के वर्ग द्वारा सीआईआरपी की शुरूआत के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करने, विचाराधीन अवधि के दौरान सरकारी प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त लाइसेंसों को जारी रखने, विचाराधीन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण आपूर्तियों को अनवरत रखने, समाधान आवेदकों आदि द्वारा अधिगृहीत कारपोरेट देनदारों की संपत्ति के सापेक्ष विभिन्न विधियों के तहत प्रवर्तन कार्रवाइयों से सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है।

ङ. आईबीसी संहिता में संशोधन

26. आईएलसी की सिफारिशों और मंत्रालय के भीतर जांच के आधार पर निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क). आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018

23.11.2017 से प्रभावी इस संहिता के चरणबद्ध कार्यान्वयन को सुकर बनाकर दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुदृढ़ करने; यह स्पष्टता प्रदान करके कि वह व्यक्ति जो एक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है; एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए कतिपय व्यक्तियों को अपात्र बनाना; वित्तीय लेनदारों के मताधिकार शेयरों के 75% से कम नहीं, मतों द्वारा समाधान योजना अनुमोदित करने के लिए लेनदारों की समिति पर उत्तरदायित्व डालने इत्यादि के लिए संशोधित।

ख). आईबीसी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018

6.06.2018 से प्रभावी आईबीसी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018, हितधारकों के हित को संतुलित करने, विशेष रूप से गृहक्रेताओं और एमएसएमई और वित्तीय लेनदारों के रूप में गृहक्रेताओं की

स्थिति को स्पष्ट करते हुए समापन पर समाधान को बढ़ावा देने; एमएसएमई के लिए कतिपय छूट प्रदान करना; वैयक्तिगत गारंटीकर्ताओं पर स्थगन के लिए अनुपलब्धता को स्पष्ट करके; मतदान अधिकार को 75% से घटाकर 66% करना इत्यादि के लिए संशोधित।

ग). आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2019:

आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 अर्थात् 16.08.2019 से प्रभावी: एक सतत् हित-चिंता के रूप कारपोरेट ऋणी (सीडी) के मूल्य का अधिकतमकरण; जबकि कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूर्ण करने के लिए 330 दिवस (वाद अवधि सहित) समय-सीमा को प्रारंभ करके सक्त समय-सीमा का अनुपालन करने; न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए मौखिक आदेश पारित करने यदि 14 दिन से आगे विलंब होता है, को अनिवार्य बनाना; लेनदारों (गृहक्रेताओं) के एक विशेष वर्ग के बीच 50% अथवा अधिक मतदान के बहुमत का मानदण्ड प्रारंभ करना; यह स्पष्ट करते हुए कि विलय, विघटन और एकीकरण समाधान योजना का भाग है; यह स्पष्ट करते हुए है कि समाधान योजनाएं सरकारी ऐजेंसियों पर बाध्यकारी हैं इत्यादि; सुनिश्चित करने के लिए संशोधन।

घ).आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2020

आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2020अर्थात् 28.12.2019 से प्रभावी हुआ था ताकि अंतिम चरण के वित्त-पोषण को संरक्षित करके सीआईआरपी के दौरान पेश आ रही कतिपय कठिनाईओं को दूर किया जा सके, लेनदारों के वर्ग द्वारा सीआईआरपी के आरंभ हेतु न्यूनतम संख्या, सीआईआरपी के दौरान एक सतत् हित-चिंता के रूप में सीडी की निरंतता के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने; यह स्पष्ट करते हुए कि लाइसेंस इत्यादि समाप्त नहीं किए जा सकते; सीआईआरपी के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए सीडी पर कोई दायित्व नहीं, के लिए संशोधित।

ङ) आईबीसी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020

आईबीसी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 अर्थात् 05.06.2020 से प्रभावी: कोविड-19 महामारी दूष्प्रभावित कंपनियों के लिए राहत प्रदान करने और इस संहिता की धारा 7,9 और 10 के अंतर्गत सीआईआरपी के प्रारंभ को अस्थाई निलंबित करके दिवाला कार्यवाहियों में डाली जा रही तत्काल चुनौती का समाना किए बिना वित्तीय संकट से उबरने; निलंबित अवधि के दौरान उत्पन्न हो रही चूकों के संबंध में सीआईआरपी के प्रारंभ के प्रयोजनार्थ स्थाई समाधान प्रदान करने; निलंबित अवधि के दौरान उत्पन्न हो रही चूक के संबंध में कारपोरेट ऋणी के निदेशकों अथवा भागीदारों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन फाइल करने से समाधान वृत्तिक को अनुमति नहीं देने के लिए संशोधित।

इसके अलावा, सरकार ने संहिता के तहत दिवाला याचिका दायर करने के लिए चूक की सीमा को **1** लाख रुपये से बढ़ा कर. **1** करोड़ रुपये कर दिया है।

च) आईबीसी (संशोधन) अध्यादेश, 2021

आईबीसी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 , को एक पूर्व-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया ढांचा प्रदान करने के लिए 4.04.201 को संशोधित किया गया था जिसका उद्देश्य नौकरी सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई देनदारों की व्यावसायिक गतिविधियों में न्यूनतम व्यवधान पैदा करना है। ताकि कार्यकुशलता, गति, लागत, प्रभावशीलता और अदालतों के बाहर वर्कआउट की लचीलेपन को बंधनकारी प्रभाव और औपचारिक दिवाला कार्यवाही संरचना के साथ जोड़कर सुनिश्चित किया जा सके। ढांचे में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए जांच और बकाया के साथ प्रक्रिया के दौरान एक अधिकार क्षेत्र के देनदार के प्रतिरूप की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, प्री-पैक फ्रेमवर्क के संचालन और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, प्रासंगिक अधिसूचना, नियम और विनियम 09.04.2021 से लागू किए गए हैं। प्री-पैक कॉरपोरेट एमएसएमई के लिए उपलब्ध है, जिसमें न्यूनतम 10 लाख रुपये की चूक है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है और प्री-पैक दिवला शुरू होने की तारीख से 120 दिनों की समय सीमा है।

27. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क करने के लिए घर खरीदने वालों के लिए न्यूनतम सीमा के मुद्दे पर, फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (द्वितीय संशोधन) विधेयक, **2019** की जांच के दौरान एक लिखित नोट मे बताया कि:

> "प्रस्तावित संशोधन न केवल घर खरीदने वालों के हितों के लिए अनुचित है (हमें रियल एस्टेट डेवलपर्स के मुकाबले एक नुकसानदेह स्थिति में डाल रहा है, जो इक्विटी और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है), बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र के भविष्य के विकास के विरुद्ध भी है, जिससे वह अपने सबसे महत्वपूर्ण हितधारक को और दूर करेगा। मोटे अनुमान के अनुसार, देश भर में रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ लगभग **1800** मामले दर्ज किए गए हैं, और किसी भी मामले में यह साबित नहीं हुआ है कि बिल्डरों के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे है । इसलिए सही है कि एक घर खरीदार द्वारा सहायता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने को 'संभावित दुरुपयोग' नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, कानून निर्माताओं द्वारा यह नहीं माना जा सकता है कि सच्चाई और तथ्यों को केवल तभी वास्तविक माना जा सकता है जब **10%** या **100** लोग इसे कहते हैं। एक साथ। यदि हम शिकायतकर्ताओं की संख्या के आधार पर आरोपों की वास्तविकता और प्रामाणिकता पर विचार करने की यह प्रथा शुरू करते हैं, तो इसके असहनीय प्रतिकूल प्रभाव होंगे। कभी भी किसी को कोई

सजा नहीं होगी क्यूंकि संख्या एकत्र करना एक असंभव कार्य होगा। यदि देश के अन्य सभी कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए/उसी सूत्र या तर्क को अपनाया जाता है, तो कृपया परिणामों की कल्पना करें। इसलिए, ऐसी शर्तें लगाकर, कानून निर्माता रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा गलत काम करने को और प्रोत्साहित करेंगे, जिसके कारण यह क्षेत्र पहले से ही विश्वास के नुकसान से जूझ रहा है।"

28. एमएसएमई के लिए प्री-पैकेज्ड दिवाला फ्रेमवर्क की आवश्यकता के संबंध में, एसएमई चैंबर ऑफ इंडिया ने एक लिखित नोट में निम्नानुसार बताया :

> "संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए एक प्रभावी बचाव तंत्र प्रदान करने के लिए, सहिंता प्रक्रियाओं में उचित संशोधन करके एक अलग दिवाला समाधान ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। ढांचे को एक सरल और देनदार-अनुकूल प्रक्रिया की परिकल्पना करनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप त्वरित और लागत प्रभावी समाधान हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए, एक एमएसएमई देनदार के मौजूदा प्रबंधन को चूक होने से पहले ही कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, समाधान के बाद भी उसी प्रबंधन द्वारा व्यवसाय को चलाने की अनुमति देने के लिए, मौजूदा प्रमोटर को नियमित बोली प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी नियंत्रण बनाए रखने के लिए पहले इनकार का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। इसे "नियंत्रण में लेनदार" के बजाय "नियंत्रण में देनदार" होना चाहिए। सीआईआरपी ढांचे को एक देनदार--कब्जे-मे, मॉडल के लिए प्रदान करना चाहिए, जिसमें मौजूदा प्रबंधन समाधान प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान कॉर्पोरेट देनदार पर नियंत्रण बनाए रख सकता है।
>
> प्री-पैकेज दिवाला ढांचे की आवश्यकता। यह एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनी और उसके लेनदार सीआईआरपी शुरू करने से पहले उसकी बिक्री के लिए एक खरीदार के साथ एक समझौता करते हैं। यह प्रारंभिक ऋण पुनर्गठन को इस तरीके से बढ़ावा देगा कि संहिता के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सके। देनदार कंपनी को लेनदारों के साथ बातचीत करते हुए कंपनी को पुनर्जीवित करने का मौका देता है ।"

29. बकाया की वसूली के संबंध में एमएसएमई क्षेत्र की दुर्दशा पर, **28** जनवरी, **2021** को साक्ष्य के दौरान सूक्ष्म और लघु तथा मध्यम उद्यम संघ (एफआईएसएमई) के प्रतिनिधि श्री अर्जुन शामलाल ने निम्नानुसार बताया:

"मैं केवल उस दर्द को उजागर करना चाहूंगा जो एक एमएसएमई परिचालन लेनदार को अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए करना पड़ता है। पहली बात जो मैं उजागर करना चाहता हूं वह यह है कि हम परिचालन लेनदारों (ओसी) बनाम वित्तीय लेनदारों की वसूली का अध्ययन कर रहे हैं, डेटा जो आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रसिद्ध एस्सार स्टील के आदेश से कुछ समय पहले, बनानी स्टील के आदेश के बाद, परिचालन लेनदारों से कुल वसूली **49** प्रतिशत थी और वित्तीय लेनदारों से **42** प्रतिशत थी।

सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलएटी और विभिन्न अन्य प्राधिकरणों द्वारा कानून की कई बार व्याख्या की गई है। व्याख्या के बाद, सामान्य दृष्टिकोण यह है कि सीओसी सर्वोपरि है और केवल यह तय करता है कि किसे क्या मिलेगा। उस स्थिति में, हितों का टकराव होता है जो बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्ट है कि सीओसी केवल वित्तीय लेनदारों के साथ समझौता कर रहा है। मैं कहूंगा कि **0.1** प्रतिशत परिदृश्य कुछ ऐसे ओसी को देख रहा है जिनके पास वास्तव में मतदान शक्ति नहीं है।

अब, संख्या अपने लिए स्वयं बोलती है। आईबीबीआई की वेबसाइट पर **30** सितंबर, **2020** तक के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय लेनदारों की वसूली अभी भी **42** प्रतिशत पर स्थिर थी। हालांकि, परिचालन लेनदारों की वसूली जिसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम शामिल हैं, **49** प्रतिशत से **14** प्रतिशत तक हो गए हैं। एस्सार स्टील के बाद या पिछले एक साल में वसूली वास्तव में **14** फीसदी नहीं होनी चाहिए। यह केवल हासिल किया जा सकता है, वसूली वास्तव में **0** से **5** प्रतिशत है। यह बहुत बड़ी समस्या है। एमएसएमई को बाजार में क्रेडिट नहीं मिलता है। उनके कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता आम तौर पर टाटा स्टील या कोई और जैसी बड़ी कंपनियां होती हैं। इसलिए, एमएसएमई से क्रेडिट देने की उम्मीद की जाती है। वे बाजार में ऋण दिए बिना जीवित नहीं रह सकते। जिस क्षण क्रेडिट आता है, आईबीसी सभी तरह से ले लेता है, मेरा मतलब है कि सबसे अधिक समाधान योजनाएं। मैं उनमें से एक से प्रभावित हूं। वसूली शून्य है। कानून के अनुसार, हम तय करते हैं कि किसे क्या मिलेगा।

आप एक परिचालन लेनदार के रूप में कोई भी वसूली प्राप्त करने में सक्षम हैं, चाहे आप सूक्ष्म या लघु हों, यदि आप आरपी को मोड़ते हैं, तो आप सीओसी को मोड़ते हैं और आप आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप एक आवश्यक सेवा आपूर्तिकर्ता हैं।

इसलिए, हमारा प्रस्ताव यह है कि भले ही कुल सीआईआरपी राशि का **5** प्रतिशत का एक छोटा प्रतिशत हो, लघु और सूक्ष्म कंपनियों को प्राथमिकता के भुगतान के रूप में अलग रखा गया हो।

यह वास्तव में उन्हें अलग-अलग मामलों के आधार पर वसूली के **80** से संभवत: **90** प्रतिशत की वसूली करने में सक्षम बनाता है और कुछ मामलों में, यह **100** प्रतिशत के बराबर भी हो सकता है।

दूसरा सुझाव या एक विकल्प यह था कि इन चीजों को विशेष रूप से सूक्ष्म और छोटी कंपनियों के लिए सीआईआर पी लागत माना जा सकता है, और मध्यम कंपनियों के लिए नहीं होना चाहिए। यह एक वैकल्पिक सुझाव था। सरकार में हम इन सुझावों के साथ खुलकर चलते आए हैं। इसलिए, हमारा विनम्र अनुरोध है कि एमएसएमई के लिए वसूली के रूप में कुछ करने की जरूरत है क्योंकि सीओसी कुछ नहीं करने जा रहा है। यह स्पष्ट हैऔर दिख रहा है, कि जब तक कि आप किसी को ताकत दिखाने में सक्षम न हों। वास्तव में, ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कुछ लेनदार **100** प्रतिशत की वसूली प्राप्त करने में सक्षम होते हैं क्योंकि वे उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट थे और अन्य लेनदार नहीं थे। कुछ समाधान योजनाएं बहुत लचीली थीं। उन्होंने कहा कि **1** करोड़ रुपये तक का बकाया, हम भुगतान करेंगे, मान लीजिए, **80** प्रतिशत, **3** करोड़ रुपये तक का बकाया, हम **60** प्रतिशत का भुगतान करेंगे। यह वास्तव में एक समाधान आवेदकों का है ।

अन्य वैकल्पिक सुझाव यह है कि आरए (रिज़ॉल्यूशन आवेदक) को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सॉफ्ट लोन दिया जा सकता है कि उन्हें, सूक्ष्म और लघु कंपनियों को भुगतान किया जाए। वैकल्पिक रूप से, उनमें से कोई भी संभव नहीं है। कम से कम बैंक को उस पैसे के बदले उधार देना चाहिए जिसे एमएसएमई बट्टे खाते में डाल रहे हैं। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उधार दे सकते हैं कि एमएसएमई किसी अन्य बैंक को धन वापस कर रहे हैं, जिसमें समान ब्याज दर देखी जा सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां छोटी कंपनियां खामियाजा भुगत रही हैं और एस्सार स्टील और रुइया जैसी बड़ी कंपनी ठीक हो रही हैं। अगर वे एस्सार स्टील खो देते हैं, तो वे दूसरी कंपनी बना लेते हैं। यह एक दुष्चक्र है जो चलता रहता है।

जेपी जैसे घर खरीदारों को लेकर हर कोई चिंतित है। जेपी में परिचालन क्रेडिटर्स के बारे में क्या**?** मुझे लगता है कि उन्हें संभावित **20,000** करोड़ रुपये में से **500** करोड़ रुपये मिले। इसलिए, अगर कुछ विकसित किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि यह सही समय है। यह काफी महत्वपूर्ण है।"

ङ. सीमा पार दिवाला

30. सरकार ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कॉरपोरेट एक से अधिक अधिकार क्षेत्र में कारोबार करते हैं और कई अधिकार क्षेत्र में संपत्ति भी रखते हैं, एक कानूनी व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, **2016** के भीतर सीमा पार दिवाला पर एक अध्याय शुरू करने की पहल की है। जेट एयरवेज और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज जैसे और मामलों ने एक ऐसे शासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है जो भारत के बाहर स्थित कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति और लेनदारों से संबंधित है।

31. दिवाला विधि समिति (**2018)** की रिपोर्ट ने कुछ संशोधनों और विविधताओं के साथ, सीमा पार दिवाला **1997** पर यूएनसीआईटीआरएएल (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग) मॉडल कानून को संहिता में शामिल करने का सुझाव दिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वैश्विक स्तर पर, यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून सीमा-पार दिवाला मुद्दों से निपटने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढांचे के रूप में उभरा है और मॉडल कानून पर आधारित कानून को कुल **46** न्यायालयों में **44** देशों में अपनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून घरेलू कार्यवाही को प्राथमिकता देकर और मॉडल कानून के तहत राहत से इनकार करने की अनुमति देकर देश के घरेलू दिवाला कानून की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करता है यदि ऐसी राहत अधिनियमित देश की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

32. यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून की प्रस्तावना प्रावधान करती है:

इस कानून का उद्देश्य सीमा पार दिवाला के मामलों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करना है ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके:

(क) सीमा पार दिवाला के मामलों में शामिल अदालतों और इस राज्य के अन्य सक्षम अधिकारियों और विदेशी राज्यों के बीच सहयोग;

(ख) व्यापार और निवेश के लिए अधिक कानूनी निश्चितता;

(ग) सीमा पार दिवालियापन का उचित और कुशल प्रशासन जो सभी लेनदारों और देनदार सहित अन्य इच्छुक व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है;

(घ) देनदार की संपत्ति के मूल्य का संरक्षण और अधिकतमकरण; तथा

(ङ) आर्थिक रूप से परेशान व्यवसायों के बचाव की सुविधा, जिससे निवेश की रक्षा और रोजगार को संरक्षित किया जा सके।

33. यह पूछे जाने पर कि सीमा पार दिवाला कब लागू होने की उम्मीद है, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

> "सीमा पार पर दिवाला कानून समिति (आईएलसी) की रिपोर्ट 16 अक्तूबर, 2018 को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे का आगे अध्ययन किया जाना चाहिए। तदनुसार, संहिता में प्रस्तावित सीमा पार दिवाला प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नियमों और नियामक ढांचे की सिफारिश करने के लिए 23 जनवरी, 2020 को श्री के.पी. कृष्णन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति सीमा पार दिवाला नियम/विनियमन समिति (सीबीआईआरसी), का गठन किया गया था।"

34. मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि सीमा-पार दिवाला नियम/विनियम समिति (सीबीआईआरसी) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और यह विचाराधीन है। साक्ष्य के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव ने निम्नानुसार बताया:

> "सीमा पार दिवाला प्राथमिकता सूची में है और हम इस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द, हम विधायी हिस्से का मसौदा तैयार करेंगे।"

35. सीमा पार दिवाला के संबंध में, एज़ेडबी और भागीदारों ने एक लिखित नोट में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

> "जहां विभिन्न न्यायालयों में एक ही निगम/कॉर्पोरेट समूह के लिए कई कार्यवाही चल रही है, एक क्षेत्राधिकार में पुनर्गठन प्रयासों का अन्य क्षेत्राधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे क्षेत्र-क्षेत्रीय सहयोग की मांग होगी। यह एक मजबूत सीमा पार दिवाला बनाने में मदद करेगा। भारत में शासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्गठन के प्रयास संरेखित हैं और इस तरह के दिवालियेपन को प्रभावी ढंग से हल किया गया है। वर्तमान में, भारत ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी है और इस तरह के इनसॉल्वेंसी के मुद्दों को मामले के आधार पर निपटाया जा रहा है। दिवाला की रिपोर्ट अक्तूबर 2018 में लॉ कमेटी और ड्राफ्ट क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी, 1996 पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून पर आधारित थे, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिली है और विभिन्न देशों ने उसी पर अपने शासन को आधारित किया है। इसलिए, खासकर अब समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ।"

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 ,मई 28 को 2016 को समयबद्ध दिवाला समाधान और परिसंपत्तियों के मूल्यों का इष्टतमकरण करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस संहिता के लागू होने को एक ऐतिहासिक कानून और जीएसटी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2017 और 2020 की तुलना स्पष्ट रूप से आईबीसी के अधिनियमन के पूर्व और बाद में भारत की 'डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में बदलाव को दर्शाती है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि जहां भारत का दिवाला समाधान रैंक हो गया 52 में 2020 से सुधरकर 136 में 2017, वहीं समाधान के लिए लिया गया औसत समय साल हो गया 1.6 में 2020 साल से घटाकर 4.3 के 2017; ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक 2017 के 155 से सुधरकर 2020 में 63 हो गया, क्रेडिट रैंक 2017 में 62 से सुधरकर 2020 में 25 हो गया और बिजनेस शुरू करने में रैंक 2017 के 151 से सुधरकर 2020 में 136 हो गया। समिति ने नोट किया कि संहिता लागू होने के बाद से इसमें छह संशोधन हो चुके हैं । हालांकि किसी भी विधायी अधिनियमन और कार्यान्वयन को लगातार बदलते इकोसिस्टम में चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित करने की आवश्यकता होती है, समिति की राय है कि अब तक किए गए संशोधनों के वास्तविक कार्यान्वयन से कानून के बुनियादी डिजाइन में परिवर्तन हो सकता है और यहां तक कि वर्तमान रूप में यह इसके आधारभूत डिजाईन से अलग हो सकता है और संहिता को एक अलग अभिविन्यास दे सकता है जिसकी मूल रूप से परिकल्पना नहीं की गयी होगी । संहिता के कार्यान्वयन पर महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, समिति यह पाती है कि हेयरकट्स के साथ कम वसूली दर %90और दिनों से अधिक समय से लंबित 180 %71से अधिक मामलों के साथ समाधान प्रक्रिया में देरी स्पष्ट रूप से संसद द्वारा इच्छित संहिता

के मूल उद्देश्यों से विचलन की ओर इशारा करती है । इसलिए समिति यह महसूस करती है कि संहिता के डिजाइन और कार्यान्वयन में जिस रूप से बदलाव हुआ है, विशेष रूप से इसके मूल उद्देश्यों और कारणों की दृष्टि से इस पर पुनविचार किए जाने की आवश्यकता है । इसलिए हमें : इस बात का गहन मूल्यांकन करने आवश्यकता हैकि वर्षों से संहिता के कार्यान्वयन के दौरान इन उद्देश्यों और कारणों को किस हद तक पूरा किया गया है ।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस क़ानून का मौलिक उद्देश्य लेनदार के अधिकारों को सुरक्षित करना है जो जोखिमों में कमी के कारण उधार लेने की लागत को कम करेगा । इसलिए, विशेषरूप से वर्षों में वित्तीय लेनदारों द्वारा लिए गए असंगत रूप से बड़े और अधारणीय को देखते हुए संहिता में तैयार तंत्र के माध्यम से लेनदार के अधिकारों को मजबूत "हेयर कट्स" करने के संबंध में उद्देश्य में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है । चूंकि दिवाला प्रक्रिया अब काफी परिपक्व हो गई है, इसलिए वैश्विक मानकों के अनुरूप की मात्रा के ल "हेयर कट"िए एक बेंचमार्क होना अनिवार्य है ।

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (आरपी) की भूमिका

2. समिति ने नोट किया कि इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स या रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (आईपी) इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन इकोसिस्टम के चार स्तंभों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं । ये (आरपी) पेशेवर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और इस तरह पूरी प्रक्रिया में एक अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। समिति नए स्नातकों को बिना किसी अनुभव के इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स या रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स के रूप में नियुक्त किए जाने के बारे में आशंकित है और उसे विशाल और जटिल निगमों के मामलों को निपटाने में उनकी योग्यता के बारे में संदेह है । समिति पाती है कि रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स के संबंध में कई आचरण संबंधी मुद्दे हैं जिनके लिए दो नियामकों आईपीए और आईबीबीआई ने अब तक किए गए कुल 203 निरीक्षणों के दौरान 123 इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। एक नियामक के बजाय

अपने सदस्य इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के कामकाज की देखरेख करने वाले कई आईपीए के पीछे का तर्क अस्पष्ट है और इस वर्तमान प्रक्रिया से आईपीए के नियामक और प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों के बीच हितों का टकराव होगा । समिति का मानना है कि रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्सों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)की तरह कार्य करने वाले एक पेशेवर स्व-नियामक को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स के कामकाज की निगरानी और उन्हें विनियमित करने के लिए एक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स संस्थान स्थापित किया जाए ताकि समुचित मानक निर्धारित किए जा सकें और निष्पक्ष स्वनियमन हो सके । समिति ने आगे नोट किया कि आईबीसी का सुचारू संचालन इन्सॉ-ल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसियों और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जैसे संस्थाओं के कामकाज पर निर्भर करता है । समिति का मानना है कि इन संस्थाओं को समय के साथ अपने आप को विकसित करना होगा जिसके लिए समयसमय पर क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित - किए जाने चाहिए।

लेनदारों की समिति (सीओसी)

3. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार, "सीओसी" की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता सर्वोच्च है। " समिति के विचार में, अब तक एकत्र किए गए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, सीओसी के लिए एक पेशेवर आचार संहिता की तत्काल आवश्यकता है जो उनके निर्णयों को परिभाषित और मर्यादित कर सके, क्योंकि इनका संहिता की प्रभावकारिता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

4. समिति यह भी नोट करती है कि कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के (सीआईआरपी) दौरान, 'सीओसी' यह तय करती है कि अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में जारी रखना है या अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को किसी अन्य रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा बिना किसी दिशानिर्देश के प्रति प्रतिस्थापित करना है । समिति चाहती है कि

आईबीबीआई 'सीओसी' द्वारा अधिक पारदर्शी तरीके से रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के चयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करे ।-

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण) एनसीएलटी (के कार्य निष्पादन की समीक्षा

5. समिति ने नोट किया कि आईबीसी संहिता से देश की क्रेडिट संस्कृति को बदलने में बड़ी सफलता मिली है । अब नहीं है "डिफॉल्टर्स पैराडाइज", जिससे डिफ़ॉल्ट मामलों में काफी अधिक वसूली करना और उधार लेने की लागत को कम करना संभव हुआ है । कई कमियों को अब दूर कर लिया गया है क्योंकि व्यव्साय के मालिक अपने ऋण की सर्विसिंग के बारे में बहुत अधिक अनुशासित हैं । इसके अलावा, औपचारिक समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिवालिया मामलों का अक्सर निपटारा कर लिया जाता है। यह कम एनपीए और बेहतर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग' से परिलक्षित होता है। फिर भी, समिति के कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान - एनसीएलटी प्रणाली से संबंधित कई क्षेत्राधिकार, प्रक्रियात्मक और निष्पादन के मुद्दे सामने आए जिन्हें हल करने की आवश्यकता है । ये मुद्दे कोविड-19 रिकवरी अवधि के दौरान और भी महत्वपूर्ण और तत्काल जरूरी हो जाएंगे ।

'एनसीएलटी' कॉर्पोरेट व्यक्तियों के दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण है । समिति ने जांच के दौरान पाया कि दिवालिया समाधान प्रक्रिया में देरी के मुख्य कारण एनसीएलटी में मामलों को स्वीकार करने में विलंब और एनसीएलटी द्वारा समाधान योजनाओं के अनुमोदन में देरी है। समिति ने यह भी नोट किया कि एनसीएलटी के पास लंबित 13,170 आईबीसी मामलों में लगभग 9,00,000 करोड़ रुपये की राशि शामिल है और इनमें से 71% मामले 180 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि समाधान अवधि में देरी के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के मूल्य का तेजी से अवमूल्यन होता है, जिससे वसूली योग्य मूल्य में कमी आती है । ऐसे कई प्रक्रियात्मक कारण हैं , जिनसे इस प्रकार की देरी होती है।

पहली बार में, एनसीएलटी स्वयं ही मामलों को स्वीकार करने में काफी समय लगा देता है । इस अवधि के दौरान कंपनी चूककर्ता मालिक के नियंत्रण में रहती है जिससे वे मूल्य स्थानांतरण, फंड डायवर्जन और परिसंपत्ति हस्तांतरण में सक्षम होते हैं। एनसीएलटी को 30 दिनों के भीतर

डिफॉल्टरों को स्वीकार करना चाहिए और इस समयावधि के भीतर समाधान प्रक्रिया में नियंत्रण हस्तांतरित करना चाहिए।

दूसरा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आमंत्रित बोलीदाताओं को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी संबंधित समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है । इसके बाद इन समाधान योजनाओं का मूल्यांकन 'सीओसी' द्वारा किया जाता है । इस बीच, अन्य बोलीदाता अचानक आगे आ सकते हैं और अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं । ये बोलीदाता आम तौर पर एच 1 बोलीदाता के सार्वजनिक होने की प्रतीक्षा करते हैं, और फिर वे निर्दिष्ट समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए एक अयाचित प्रस्ताव के माध्यम से इस बोली को पार करना चाहते हैं। वर्तमान में, 'सीओसी' के पास देर से आए और अयाचित समाधान योजनाओं को स्वीकार करने के मामले में महत्वपूर्ण विवेकाधिकार है ।

इस प्रकार की अयाचित, देर से जमा की गयी बोलियां जबरदस्त प्रक्रियात्मक अनिश्चितता पैदा करते हैं । नतीजतन, वास्तविक बोलीदाता सही समय पर बोली लगाने से हतोत्साहित हो जाते हैं । समग्र प्रक्रिया को विकृत किया जाता है और इसमें महत्वपूर्ण विलम्ब होता है जिससे आगे और मूल्य क्षरण होता है। समिति का मानना है कि आईबीसी में संशोधन की जरूरत है ताकि समाधान प्रक्रिया के दौरान पोस्ट हॉक बोलियां न लगने दी जाएं। समय सीमा का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, ताकि मूल्य का संरक्षण हो और प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे ।

अंततः, एनसीएलटी के निर्णयों पर एनसीएलएटी और उच्चतम न्यायालय में निरंतर मुकदमा किया जाता है जिससे समाधान और वसूली में और अधिक देरी होती है । अक्सर, एनसीएलटी के निर्णयों को पलटा जाता है जिससे यह पता चलता है कि एनसीएलटी स्तर पर निर्णय की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करके सुधार किया जा सकता है कि एनसीएलटी के सदस्य अत्यधिक अनुभवी और पूरी तरह से प्रशिक्षित हों। समिति का मानना है कि एनसीएलटी के न्यायिक सदस्यों को कम से कम माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए ताकि देश को उनके न्यायिक और प्रक्रियात्मक अनुभव तथा बुद्धिमत्ता का लाभ मिल सके।

6. स्टाफ के संबंध में वर्तमान में एनसीएलटी नियमित अध्यक्ष के बिना कार्य कर रहा है और 62 सदस्यों की कुल स्वीकृत संख्या में से 34 सदस्यों के पद रिक्त हैं। समिति यह नोट कर बहुत चिंतित है कि एनसीएलटी में स्वीकृत संख्या के 50% से अधिक पद खाली पड़े हैं और रिक्ति के मुद्दे से अधिकरण वर्षों से त्रस्त हैं। समिति चाहती है कि अगले तीन-चार वर्षों में अनुमानित मामलों से निपटने के लिए क्षमता की आवश्यकता का विश्लेषण किया जाए ताकि उपयुक्त रूप से भर्ती

प्रक्रिया की योजना पहले से ही बनाई जा सके। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अपेक्षित रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए। एनसीएलटी सदस्यों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने की भी आवश्यकता है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि नेशनल लॉ स्कूल को एनसीएलटी प्रणाली में शामिल किया जाए ताकि वे शैक्षणिक शोध कर सकें, उपयुक्त मामला आधारित प्रशिक्षण सामग्री विकसित किए जाएं और लॉ-क्लर्क आदि के माध्यम से उपयुक्त समर्थन प्रदान किया जाए।

चूंकि आईबीसी के मामलों का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यह वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, इसलिए समिति की इच्छा है कि केवल आईबीसी के लिए समर्पित एनसीएलटी की पीठों का सृजन किया जाए और एनसीएलटी पीठों की संस्थागत क्षमता को तद्नुसार बढ़ाया जाए। अपेक्षित डोमेन विशेषज्ञता के साथ एमएसएमई जैसे क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पीठों की भी आवश्यकता है।

अधिक लचीली समाधान योजनाएं

7. आईबीसी की धारा 5(26) समाधान योजना को समाधान आवेदक द्वारा चल रहे समुत्थान के रूप में कार्पोरेट चूककर्ता के दिवाला समाधान के लिए समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तावित योजना के रूप में परिभाषित करती है। समाधान पेशेवर, सीओसी और एनसीएलटी के कतिपय आदेश यह इंगित करते हैं कि चल रहे समुत्थान' का अभिप्राय यह है कि समाधान योजना के परिणामस्वरूप एक योजना के अंतर्गत सीडी के सम्पूर्ण कारबार और प्रचालनों का निपटान होना चाहिए।

वास्तविक अनुभवों से यह पता चलता है कि बोलीदाता की रूचि पूरे व्यवसाय की बजाय किसी चुनिंदा व्यवसाय यूनिट या आस्तियों पर ही हो। सीओसी से समग्र व्यवसाय एक ही बोलीदाता द्वारा अर्जित किए जाने की बजाय एक से अधिक बोलीदाताओं द्वारा अलग-अलग व्यवसाय इकाइयां या आस्तियां लेना काफी अच्छा रहेगा। तथापि, समाधान पेशेवर वर्तमान में आईबीसी के भीतर एक से अधिक बोलीदाताओं में कार्पोरेट चूककर्ता का निपटान किए जाने की लोचनीयता नहीं रखते हैं।

सीआईआरपी विनियमन 37 समाधान पेशेवरों को एक से अधिक बोलीदाताओं में समाधान योजना विकसित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करती है और प्रत्येक बोलीदाता कार्पोरेट चूककर्ताओं के विभिन्न भागों को लेगा। सीआईआरपी विनियमन का विनियम 37 आस्तियों के पूर्ण

या अंश का अंतरण एक या अधिक व्यक्तियों को अंतरित या समाधान योजना के एक भाग के रूप में आस्तियों का पूर्ण या आंशिक भाग का विक्रय किए जाने की अनुमति देता है।

आईबीसी स्पष्ट रूप से संसदीय संविधि है जबकि सीआईआरपी विनियम प्रत्यायोजित अधीनस्थ विधान है। तद्नुसार समिति सिफारिश करती है कि यह स्पष्ट करने के लिए आईबीसी में संशोधन किया जाए कि समाधान योजना सीआईआरपी विनियमों के विनियम 37 के अंतर्गत विहित किसी भी उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

8. इसी प्रकार से, आईबीसी की धारा 54 के अंतर्गत परिसमापन के समय कार्पोरेट चूककर्ता का विघटन अपेक्षित है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 ("परिसमापन विनियम") के विनियम 32 में अन्य बातों के साथ-साथ परिसमापन के दौरान सीडी की आस्तियों के विक्रय या उपबंध है। एनसीएलटी की प्रमुख पीठ ने 2018 के इन्वेस्ट एसेट सिक्यूरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोहन जैम्स एण्ड ज्वैल प्रा.लि. सीपी सं.590 (पीबी) मामले में भी यह राय प्रकट की थी कि परिसमापन के लिए आईबीसी के अंतर्गत विघटन अपेक्षित है इसलिए परिसमापन का उपबंध करने वाले विनियम अधिकारातीत है और यह कि विधान से और अधिक अनिश्चितता उत्पन्न हुई है।

अतः परिसमापन विनियम के विनियम 32 (50) का लोप किया जाए। इसके साथ ही, परिसमापन विनियम के विनियम 32(च) में समुचित संशोधन किए जाएं।

आईबीसी इकोसिस्टम का डिजिटाइजेशन

9. यह देखते हुए कि आईबीसी कोड पिछले पांच वर्षों से लागू है, समिति सिफारिश करती है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी को वर्चुअल सुनवाई के प्रावधान के साथ अपने प्रचालनों को पूरी तरह से डिजिटाइज्ड करना चाहिए ताकि बैकलॉग को दूर कर लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जा सके।

10. समिति यह भी सिफारिश करती है कि आईबीसी मामलों पर विस्तृत आंकड़ों के साथ एनसीएलटी के कार्य निष्पादन और भारत में ऋण पोर्टफोलियो या समग्र ऋण बाजारों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन किया जाना चाहिए और उसे हर वर्ष संसद में और सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिससे शोधकर्ताओं और विश्लेषकों को लाभ होगा । इस संबंध में

समिति यह भी सुझाव देती है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अग्रणी बिजनेस स्कूलों या विधि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं ताकि उन्हें इस कार्य में अकादमिक रूप से संबद्ध किया जा सके और शेष विश्व की तुलना में परिणामों को बेंचमार्क किया जा सके । इसके अलावा उपलब्ध सभी आंकड़े मशीन द्वारा पढ़ने के फार्मेट में होने चाहिए। एनसीएलटी के कार्यनिष्पादन पर नियमित फिडबैक पर पारिस्थितिकी तंत्र और एक व्यापक स्वतः परामर्शी तंत्र होना चाहिए।

11. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को एक नोडल मंत्रालय होने के कारण एनसीएलटी/एनसीएलएटी में प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, साथ ही कार्य-प्रवाह, समाधान, वसूली, लिया गया समय आदि की लगातार निगरानी तथा विश्लेषण करना चाहिए। तदनुसार दिशानिर्देश, नियम तथा प्रशासनिक आदेशों द्वारा तत्काल उपचारात्मक उपाय आरंभ कर देने चाहिए।

12. समिति के लिए यह बहुत गंभीर चिंता की बात है कि वैधानिक सीमा से पार लंबे विलंब द्वारा दिवाला प्रक्रिया का महत्व कम हो गया है। यह चिंताजनक है कि एनसीएलटी में मामलों के दर्ज होने में भी बहुत लंबा समय लग रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संहिता का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। ऐसी भी घटनाएं हुई है जिसमें हल्के मामलों की अपील की गई है, जिससे समाधान/वसूली प्रक्रिया और लंबी चली जिससे परिसम्पत्ति मूल्य का क्षरण हुआ। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि लंबी मुकदमेबाजी के बिना सांविधिक रूप से निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रूप दिए जाने के तत्व को सुनिश्चित करके विचार किए गए प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के दुरूपयोग/दुष्प्रयोग से बचना चाहिए।

एमएसएमई हेतु दिवाला समाधान प्री-पैक

13. समिति ने नोट किया कि एमएसएमई क्षेत्र, जो आत्मानिर्भर भारत या एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के दृष्टिकोण के पीछे एक प्रेरक शक्ति है, वर्तमान में कोविड -19 महामारी के कारण विकट वित्तीय संकट और चल निधि के अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। एमएसएमई को दिवाला कार्यवाही में धकेलने से रोकने के लिए, सरकार ने दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए चूक की सीमा राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दिया है। आईबीसी संहिता के अंतर्गत, 4 अप्रैल, 2021 को अधिसूचित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से एमएसएमई के लिए एक विशेष दिवाला लाया गया है, जिसमें ड़ेब्टर इन पजेशन मॉडल की परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य एमएसएमई देनदारों की व्यावसायिक गतिविधियों में न्यूनतम व्यवधान पैदा करना है ताकि कार्य को पूरा करने के लिए 120 दिनों की समय-सीमा के साथ कार्य संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। समिति चाहती है कि तेजी से और लागत प्रभावी समाधान प्राप्त करने के लिए समय-सीमा का सख्ती से पालन करते हुए इस प्री-पैक ढांचे को लाभकारी रूप से नियोजित किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को पुनर्जीवित करने के लिए एमएसएमई का अस्तित्व अनिवार्य है। समिति आगे सिफारिश करती है कि कॉरपोरेट्स के लिए एक प्री-पैक समाधान ढांचा तैयार किया जा सकता है ताकि मौजूदा दिवाला ढांचे को त्वरित और अधिक प्रभावी प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने और मूल्य अधिकतमकरण और समय पर समाधान के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के परिणामस्वयप एनसीएलटी के बोझ को कम करने में मदद मिल सके। हालांकि यह प्री-पैक तंत्र उचित समय में प्राप्त अनुभव के आधार पर उपयुक्त समीक्षा के अधीन हो सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है।

वर्तमान में एमएसएमई को प्राचलनात्मक ऋणदाता माना जाता है और वाटरफॉल तंत्र में सुरक्षित ऋणदाता के बाद अते हैं। इसे एमएसएमई अधिनियम और इन आर्थिक परिस्थितियों में

एमएसएमई, जिसे अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, के साथ सामांजस्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

सीमा-पार दिवाला

14. समिति नोट करती है कि सीमाने सुझाव (2018) पार दिवाला संबंधी दिवाला विधि समिति-पार दिवाला के बारे में यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल लॉ को दिवाला और -दिया था कि सीमा -शोधन अक्षमता संहिता में शामिल किया जाए। समिति यह भी नोट करती है कि प्रस्तावित सीमा पार दिवाला उपबंधों, जो विचाराधीन हैं, के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमनों की सिफारिश करने हेतु सीमाके संबंध (सीबीआईआरसी) विनियमन समिति/पार दिवाला नियम-में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति को आशा है कि एक बार सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, सीमा सफलतापूर्वक समाधान व हल पार दिवाला मामलों का-के बीच समन्वय और संवाद सुनिश्चित करने क्षेत्रों-पार दिवाला तंत्र में अधिकार-करने के लिए सीमा में बहुत सहायता मिलेगी । अतः, समिति सिफारिश करती है कि सीमापार दिवाला तंत्र के -उपबंधों को शीघ्र स्वीकार किया जाना चाहिए।

गृह क्रेताओं के अधिकारों को मजबूत करना

15. समिति नोट करती है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम (दूसरा संशोधन), का उद्देश्य हितधारकों 2018, विशेष रूप से गृह क्रेताओं और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के हितों को संतुलित करना है 'एमएसएमई', जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष समाधान योजना की शुरुआत के लिए किसी रियल एस्टेट परियोजना में कम से कम गृह 100 की ऊपरी सीमा तय की गई थी । समिति ने पाया 10प्रतिशत क्रेताओं या कुल फ्लैट खरीदारों के गृह क्रेताओं को रियल एस्टेट स्वामी के विरुद कि्ध दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित संख्या में गृह क्रेताओं को एकत्र करने में व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा

है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि जब एक अकेला गृह क्रेता राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेता है, तो नियमों दिशानिर्देशों में यह बाध्यता होनी/ संबंधित गृह क्रेता को परियोजना के अन्य गृह क्रेताओं का विवरण चाहिए कि रियल एस्टेट स्वामी ताकि अपेक्षित प्रदान करे 10प्रतिशत या 100 गृह क्रेताओं को एकत्र किया जा सके , इस प्रकार इससे यह सुनिश्चित होगा कि संशोधित उपबंध के प्रभावी संचालन को समर्थ बनाते हुए परेशान गृह क्रेता के हितों की समुचित रक्षा की जाए।

नई दिल्ली;
29 जुलाई, 2021
07 श्रावण, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2019-20)की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक मंगलवार, 25 अगस्त, 2020 को 1430 बजे से 1810 बजे तक
मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
3. श्री वल्लभनेनी बालाशौरी
4. श्रीमती सुनीता दुग्गल
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
7. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
8. श्री पिनाकी मिश्रा
9. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
10. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
11. श्री मनीश तिवारी
12. श्री पी. वेलुसामी
13. श्री राजेश वर्मा
14. श्री गिरिधारी यादव

<u>राज्य सभा</u>

15. श्री राजीव चंद्रशेखर
16. श्री प्रफुल्ल पटेल
17. डॉ. अमर पटनायक
18. श्री सी.एम. रमेश
19. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
20. श्रीमती अम्बिका सोनी

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वी.के.त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

भाग - एक
(1430 बजे - 1600 बजे)

साझी

भारतीय बैंक संघ

1. **श्री सी.एस. शेट्टी,** प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
2. **श्री मल्लिकार्जुन राव,** प्रबंध निदेशक और सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक
3. **श्री सुनील मेहता,** मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
4. **श्री अनूप रावत,** शार्दुल अमरचंद मंगलदास (एसएएम)

एजेडबी एंड पार्टनर्स

1. **श्री विजयेंद्र प्रताप सिंह,** सीनियर पार्टनर

एल एंड एल पार्टनर्स

1. **श्री विश्रुत कंसल,** काउंसल

2. सर्वप्रथम, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, समिति ने 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन' विषय पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए), एजेडबी और पार्टनर्स और एल एंड एल पार्टनर्स के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। प्रतिनिधियों के साथ चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली बाधाएं शामिल हैं, जो मुख्य रूप से ढांचागत कमियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप मामलों को स्वीकार करने, समाधान योजनाओं के अनुमोदन और तेजी से समाधान के लिए अतिरिक्त की आवश्यकता बेंच, प्री-पैक की आवश्यकता और व्यवहार्यता, समाधान की गुणवत्ता, समाधान पेशेवर की भूमिका, निष्ठा और चयन प्रक्रिया, बोली लगाने के बाद समाधान पेशेवरों की वापसी का मुद्दा, मुद्दा समाधान का मूल्य परिसमापन मूल्य से कम होना, वह चरण जिस पर वित्तीय लेनदार को मूल्य अधिकतम करने के लिए आना चाहिए, लेनदारों की समिति (सीओसी) आदि में निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित हर चरण में देरी हुई। साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निदेश दिया, जिनका उत्तर बैठक के दौरान नहीं दिया जा सका।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

<u>भाग-दो</u>
(1600 बजे से)

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

1. **श्री राजेश वर्मा,** सचिव
2. **श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह,** संयुक्त सचिव
3. **श्री शिव राम बैरवा,** रजिस्ट्रार, एनसीएलटी

<u>भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)</u>

1. **डॉ एम.एस. साहू,** अध्यक्ष
2. **श्री रितेश कावड़िया,** कार्यकारी निदेशक
3. **श्री के आर साजी कुमार,** कार्यकारी निदेशक

3. साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, समिति ने 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन' विषय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें आईबीसी के अंतर्गत शीघ्र वसूली के तरीके, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में वृद्धि, एनसीएलटी की शक्ति बढ़ाने का महत्व, एमएसएमई के लिए एक अलग समाधान ढांचा, प्री-पैक की व्यवस्था, सीमा-पार दिवाला, व्यक्तिगत दिवाला, समूह दिवाला, संशोधन करते समय संहिता की मूल संरचना को अक्षुण्ण रखने का महत्व आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित कार्य शामिल हैं। साक्षियों ने इस विषय के संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निदेश दिया, जिनका उत्तर बैठक के दौरान नहीं दिया जा सका।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थागित हुई ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक मंगलवार 12 जनवरी, 2021 को 1100 बजे से 1310 बजे तक मुख्य समिति कमरा सं.3, संसदीय सौध विस्तार ब्लॉक-ए, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
3. श्रीमती सुनीता दुग्गल
4. श्री गोपाल चिनैरय्या शेट्टी
5. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

6. श्री राजीव चंद्रशेखर
7. श्री प्रफुल्ल पटेल
8. डॉ. अमर पटनायक
9. श्री सी.एम. रमेश
10. श्री जी.वी.एल.नरसिम्हा राव
11. श्रीमती अम्बिका सोनी

सचिवालय

1. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
2. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

भाग एक

2. xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx

भाग दो
साक्षी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

1. श्री राजेश वर्मा, सचिव
2. श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव
3. श्री शिव राम बैरवा, रजिस्ट्रार, एनसीएलटी

<u>भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई)</u>
1. डॉ एम.एस. साहू, अध्यक्ष
2. श्री सुधाकर शुक्ल, पूर्णकालिक निदेशक
3. श्री रितेश कावड़िया, कार्यपालक निदेशक

<u>पंजाब नेशनल बैंक</u>
1. श्री सी एच. एसएस मल्लिकार्जुन राव, एमडी और सीईओ
2. श्री नसीम अहमद, मुख्य महाप्रबंधक, वसूली
3. श्री अशोक मिश्रा, उप महाप्रबंधक, कानून

3. साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने समिति के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) दिया। समिति ने तब 'दिवाला और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन - नुकसान और समाधान' विषय से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधियों के साथ जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें एनसीएलटी में विशेष रूप से पोस्ट मोरेटोरियम, स्टाफिंग और बुनियादी ढांचे के मुद्दों, प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया, रिज़ॉल्यूशन पेशेवरों की गुणवत्ता और क्षमता, रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया के मामलों की मात्रा को लेने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की तत्परता शामिल है। वित्तीय क्षेत्र की फर्मों जैसे एनबीएफसी और बैंकों के लिए, सीमा पार दिवाला समाधान आदि। साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। अध्यक्ष ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनका उत्तर बैठक के दौरान उनके द्वारा आसानी से नहीं दिया जा सकता था।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थागित हुई ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21)की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक गुरूवार, 28 जनवरी, 2021 को 1500 बजे से 1730 बजे तक
समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
3. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
4. श्रीमती सुनीता दुग्गल
5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
8. श्री मनीश तिवारी
9. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
10. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

11. श्री राजीव चंद्रशेखर
12. डॉ. अमर पटनायक
13. श्री महेश पोद्दार
14. श्री बिकास रंजन
15. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव
16. श्रीमती अम्बिका सोनी

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वी.के.त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

भाग - एक

साक्षी

इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक (आईसीआईसीआई)

1. श्री पंकज गाडगिल, वरिष्ठ महाप्रबंधक, सेल्फ एम्पलॉयड सेगमेंट के प्रमुख

2. श्री नीलांजन सिन्हा, महाप्रबंधक, लीगल इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के प्रमुख

चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीओएसआईए)

1. श्री संजय द्विवेदी, सदस्य - वित्त और कराधान पर सीओएसआईए उप समिति

2. सीए नंदन जी खंबेटे, सदस्य - वित्त और कराधान पर सीओएसआईए उप समिति

फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (FISME)

1. डॉ. अनिमेष सक्सेना, अध्यक्ष

2. श्री अनिल भारद्वाज, महासचिव

3. श्री अर्जुन शामलाल, मुख्य कार्यकारी-कॉन्सोलिडेटेड इंजीनियरिंग कंपनी

स्वतंत्र साक्षी

1. श्री प्रदीप जैन, पूर्व. एमडी, रूनीचा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र का वित्तपोषण' इसकी विकास और विनियमन' और 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन - समस्याएं और समाधान' विषयों पर चर्चा की। जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें शामिल हैं: व्यापारिक समुदाय के विभिन्न वर्गों विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रभाव के विश्लेषण की आवश्यकता तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन करने की आवश्यकता; समाधान के वैकल्पिबक तरीके; आईबीसी के अंतर्गत कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी0 की शक्तियों की समीक्षा करना; एमएसएमई यूनीवर्स के संबंध में स्पष्टता की कमी; एमएसएमई को उधार देने में बैंकों की झिझक और संपाश्विक के खिलाफ उधार देने पर उनका जोर; उधारकर्ताओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता; अधिक एमएसएमई को शामिल करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म का विस्तार करना; उनके वित्तपोषण के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुविधा सहिता एमएसएमई के बीच डिजिटलीकरण की डिग्री शामिल है; उन्हें विलंबित भुगतान जारी करना; क्रेडिट रेटिंग के मुद्दे के साथ-साथ एमएसएमई द्वारा बैंक गारंटी और कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में कठिनाई; छोटे व्यवसायी वर्ग

में उच्च आत्महत्या दर का मुद्दा; देश में उद्यमिता व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में व्यापक कौशल विकास की आवश्यकता; एमएसएमई से अनिवार्य 25 प्रतिशत सरकारी खरीद के प्रदर्शन कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करना और उनके लिए लेनदेन लागत को कम करने की आवश्यकता। साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। अध्यक्ष ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनके उत्तर बैठक के दौरान वे नहीं दे सके।

इसके पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

भाग - दो
साझी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

1. श्री देवेंद्र कुमार सिंह, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
2. श्री सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव (एआरआई)
3. श्री पीयूष श्रीवास्तव, अपर विकास आयुक्त (एमएसएमई)
4. श्री ललित कुमार चंदेल, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्रीमती एन. मोहना, सीजीएम, भारतीय रिजर्व बैंक
6. श्री रवि त्यागी, महाप्रबंधक (सिडबी)

3. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात् सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र का वित्तपोषण, विकास और विनियमन' तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन – समस्याएं और समाधान विषयों पर चर्चा आरंभ की। चर्चा किए गए मुख्य मुद्दों में शामिल हैं: एमएसएमई द्वारा कोविड के खतरे का सामना और उनके क्रेडिट अंतर को पाटने की आवश्यकता, अधीनस्थ ऋण योजना और निधि की निधि योजना से संबंधित मुद्दे; चैम्पियन्स पोर्टल तक सुगम पहुंच और सधार की संभावना; आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और इससे संबंधित मुद्दे; आरबीआई का विनियामक तंत्र; एमएसएमई हेतु आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत निधियों की संवितरण दर का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता; परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाओं में कमियों को दूर करना। छोटे व्यवसायों के औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अधिक समावेश की आवश्यकता; अगस्त 31 की मोहल्लत के बादएमएसएमई जिस प्रकार उबर रहे हैं, इससे उपजे असंतोष अथवा मंदी; एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ता एनपीए और उन्हें निर्बाध वित्तीय फ्लो सुचारू रूप से उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों की भूमिका। इस

विषय पर सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का साक्षियों ने उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को निर्देश दिया कि जिन प्रश्नों के उत्तर बैठक के दौरान नहीं दिए जा सके उनके लिखित उत्तर शीघ्रातीशीघ्र उपलब्ध कराए जाएं।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक जलपान के लिए स्थागित हुई ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21)की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 को 1400 बजे से 1600 बजे तक
मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
3. श्री वल्लभनेनी बालाशौरी
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
9. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
10. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
11. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

12. श्री राजीव चंद्रशेखर
13. डॉ. अमर पटनायक
14. श्री महेश पोद्दार
15. श्री सी.एम. रमेश
16. श्री बिकास रंजन
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री वी.के.त्रिपाठी - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
4. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

<u>भाग - एक</u>

1400 बजे से 1500 बजे तक

<u>साझी</u>

<u>सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन प्राईवेट लिमिटेड</u>

1. श्री अमीत के अग्रवाल, निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

2. श्री आनंद अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, डीआरटी

<u>कर्नाटक लघु उद्योग संघ</u>

1. श्री सुरेश एन सागर, अध्यक्ष-उप समिति: बैंकिंग और वित्त

<u>स्वतंत्र साक्षी</u>

1. श्री सौरव गुलाटी

2. श्री अनिल गुलाटी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, अध्यक्ष ने 'एमएसएमई क्षेत्र का वित्तपोषण' इसका विकास और विनियमन' और 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन - समस्याएं और समाधान' विषय पर चर्चा शुरू की। चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में विशेषरूप से कोविड महामारी के आलोक में एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना - वित्तपोषण की कमी, बढ़ी हुई कीमतें और कुशल श्रम की अनुपलब्धता; 'एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' (ईसीएलजीएस) और संबंधित मुद्दे; एमएसएमई क्षेत्र में अधिक एनपीए अनुपात और उन्हें उधार देने में बैंकों की झिझक; वसूली का कानूनी रास्ता अपनाने से पहले एमएसएमई के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) सुविधा के विस्तार की आवश्यकता; नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के साथ मुद्दे - अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, विलंबित समय सीमा; एमएसएमई के विरूद्ध दिवाला कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए 2 करोड़ रुपये की निचली सीमा को बढ़ाने और एनसीएलटी निपटारे में प्राथमिकता देने की आवश्यकता; सरफेसी अधिनियम को सरल बनाना; व्यापार लेनदार मुद्दों को हल करना; एमएसएमई के लिए सिबिल स्कोर के समक्ष शिकायतों का विश्लेषण करना और राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आवश्यकता पर बल देना और मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए विशिष्ट एमएसएमई पोर्टल विकसित करने की आवश्यकता ताकि वृद्धिशील और अतिरिक्त ऋणों का समय पर संवितरण किया जा सके, शामिल है साक्षियों ने विषयों पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

इसके पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

<u>भाग - दो</u>

1500 बजे से

<u>साझी</u>

<u>इंडियन ओवरसीज बैंक</u>

1. श्री पी पी सेनगुप्ता, एमडी और सीईओ

2. श्री एस एस नारंग, सीआरएम दिल्ली

<u>कोटक महिंद्रा बैंक</u>

1. श्री के.वी.एस. मनियन, पूर्णकालिक निदेशक

2. श्री टी.वी. सुधाकर, अध्यक्ष एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

3. श्री राघवेंद्र सिंह, अध्यक्ष

3. सर्वप्रथम, सभापति महोदय ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, सभापति ने 'एमएसएमई क्षेत्र का वित्तपोषण' इसका विकास और विनियमन' और 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन - समस्याएं और समाधान' विषयों पर चर्चा शुरू की। चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में विशेष रूप से कोविड महामारी के आलोक में एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन का विश्लेषण करना; आईबीसी, एनसीएलटी और दिवाला मामलों से संबंधित अदालतों में महत्वपूर्ण क्षमता की कमी; एमएसएमई क्षेत्र में उच्च एनपीए और उससे संबंधित मुद्दे, खुदरा व्यापारियों की शिकायतें और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्य मंत्रालय और एमएसएमई के बीच कुछ समन्वय विकसित करने की आवश्यकता; टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के विस्तार की आवश्यकता; लोकपाल स्कीम को सुदृढ़ और बहु-पंजीकरण योजनाओं के बजाय सरकार के साथ एमएसएमई के पंजीकरण और बातचीत के लिए एक एकीकृत मंच विकसित करने की आवश्यकता है। साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। समिति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया, जिनका बैठक के दौरान तुरंत नहीं दिया जा सकता था।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21)की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक बुधवार, 7 जुलाई, 2021 को 1500 बजे से 1645 बजे तक
मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री सुधीर गुप्ता
8. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
9. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
10. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
11. प्रो. सौगत राय
12. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
13. श्री मनीश तिवारी

<u>राज्य सभा</u>

14. श्री ए. नवनीतकृष्णन
15. श्री प्रफुल्ल पटेल
16. डॉ. अमर पटनायक
17. श्री सी.एम. रमेश
18. श्री बिकास रंजन
19. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
2. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक
3. श्री ख. गिनलाल चुंग - अवर सचिव

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

1. **श्री राजेश वर्मा**, सचिव
2. **श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह**, संयुक्त सचिव
3. **श्री शिव राम बैरवा**, रजिस्ट्रार**,** एनसीएलटी

<u>भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)</u>

1. **डॉ एम.एस. साहू**, अध्यक्ष
2. **श्री सुधाकर शुक्ल**, पूर्णकालिक सदस्य
3. **श्री रितेश कावड़िया**, कार्यकारी निदेशक

3. साक्षियों के औपचारिक परिचय के पश्चात्, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) दी। समिति ने 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन-कमियाँ और समाधान' विषय से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधियों के साथ चर्चा किए गए मुख्य मुद्दों में दिवाला पेशेवरों की भूमिका और उत्तरदायित्व, क्षमता, पीठ सदस्य संख्या (बेंच स्ट्रैन्थ), समाधान में विलम्ब बैकलॉग मामले प्री-पैक रॉल आउट का कार्यान्वयन, शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए आईबीसी मामलों से संबंधित विस्तृत आंकड़े की आवश्यकता, गृह क्रेताओं के अधिकारों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता, सीमापार दिवाला समाधान का मुद्दा इत्यादि सहित एनसीएलटी से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। साक्षियों ने इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने साक्षियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निर्देश दिया जिनके उत्तर बैठक के दौरान उनके द्वारा नहीं दिए जा सके।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थागित हुई ।

कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2020-21)की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश समिति की बैठक गुरूवार, 29 जुलाई, 2021 को 1430 बजे से 1500 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
4. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
7. डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
8. श्री मनीष तिवारी
9. श्री राजेश वर्मा

<u>राज्य सभा</u>

10. श्री ए. नवनीतकृष्णन
11. डॉ. अमर पटनायक
12. श्री महेश पोद्दार
13. श्री सी.एम. रमेश
14. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

<u>सचिवालय</u>

5.	श्री वी.के. त्रिपाठी	-	संयुक्त सचिव
6.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
7.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
8.	श्री ख. गिनलाल चुंग	-	अवर सचिव

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने, निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया। तत्पश्चात् समिति ने विचार करने और स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को लियाः-

(i) 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन : समस्याएँ और समाधान' विषय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय का 32वां प्रतिवेदन।

(ii) 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र – बैंकों/वित्तीय संस्थानों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों सहित मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य की राह' विषय पर अड़सठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा 33वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iii) 'स्टार्टअप ईकोसिस्टम का वित्तपोषण' विषय संबंधी वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य तथा राजस्व विभाग) और वाणिज्य मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा 34वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।

(iv) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 35वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(v) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 36वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 37वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(vii) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 38वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

(viii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में 39वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।

कुछ चर्चा के बाद समिति ने, उक्त प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।